DMI
सुविद्या सुविनियोगात् सुविकासः

विकास प्रबंधन संस्थान
Development Management Institute

मुखिया दीदी

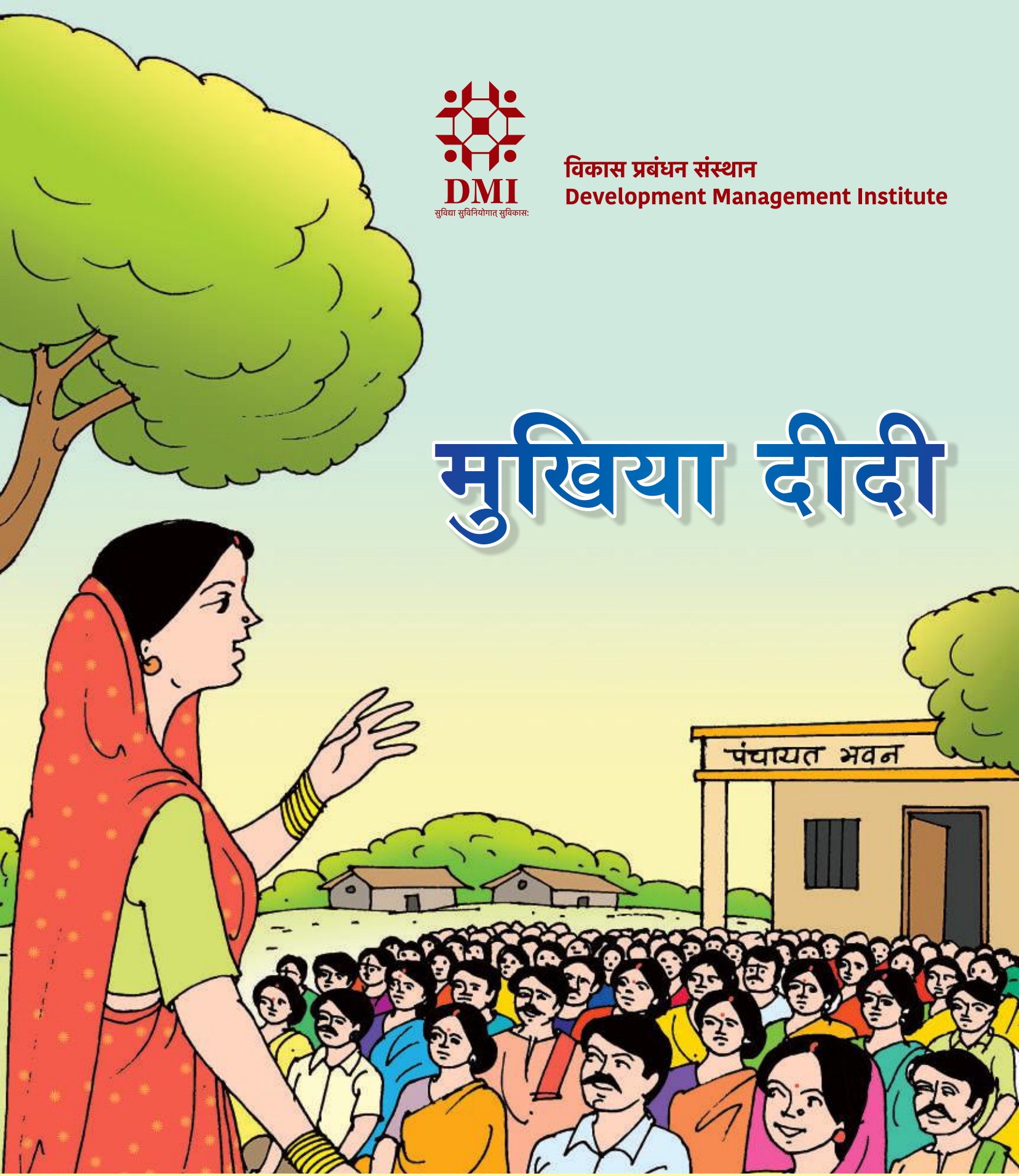

सम्मति – पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

DMI
सुविद्या सुविनियोगात् सुविकासः

विकास प्रबंधन संस्थान
Development Management Institute

मुखिया दीदी

सम्मति – पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

परिकल्पना एवं प्रयोजन

विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआई) की स्थापना 13 फरवरी, 2014 को हुई थी। बिहार सरकार की इच्छा थी कि बिहार में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला एक संस्थान स्थापित किया जाए। डीएमआई की स्थापना इस दृढ़ विश्वास के आधार पर की गई थी कि यदि छोटे उत्पादकों और उपेक्षित तबकों को संगठित कर सहभागिता आधारित लोकतांत्रिक तरीके से प्रबंधित ऐसी संस्थाओं का गठन हो, जो प्रौद्योगिकी और बाजार के समेकन का फायदा उठाते हुए सामुदायिक सहकारिता की ताकत का लाभ लेते हुए पेशेवरों के साथ स्थायी साझेदारी कायम कर सकें, तो उनकी आजीविका में निश्चित तौर पर बेहतरी आ सकती है। विकास प्रबंधन के पेशेवरों की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इससे प्रेरित होकर बिहार सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में डीएमआई की स्थापना की पहल की। डीएमआई के औचित्य की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति इसके मिशन–वाक्य में होती है – "आजीविका के अवसर बढ़ाने और टिकाऊ विकास की परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए संस्थाओं, उद्यमों और संसाधनों में सहभागितापूर्ण प्रशासन और प्रबंधन के तरीकों का समावेश करना और उन्हें सशक्त बनाना।"

डीएमआई निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से जमीनी स्तर को सशक्त बनाने का प्रयास करता है:

- स्नातकोत्तर शैक्षणिक अध्यापन कार्यक्रमों के माध्यम से विकास प्रबंधन पेशेवरों के एक कैडर का निर्माण
- क्षमता संवर्धन कार्यक्रम (सीईपी) के माध्यम से विकास प्रबंधन की व्यावहारिक क्षमताओं का संवर्धन
- संगठनों और संस्थाओं के साथ विभिन्न स्तरों पर काम करके सुशासन की दिशा में विजन, मूल्यों और नेतृत्वगत व्यवहारों का उन्मुखीकरण; तथा
- अपने कॉलेबोरेटिव एक्शन रिसर्च एंड एजुकेशन (केयर) केंद्रों के माध्यम से नेटवर्कयुक्त परा–अनुशासनात्मक क्रियात्मक अनुसंधान और नीतिगत पैरोकारी के कार्य करना।

विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीडीएम)

विकास प्रबंधन में द्वि–वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीडीएम) डीएमआई का एक अनूठा पाठ्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अपने स्नातकों को निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार करना है:

- परिप्रेक्ष्य निर्माण, बुनियादी, कार्यात्मक और समेकनशील पाठ्यक्रम और आपसी संवाद आधारित पढ़ाई के माध्यम से दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर व्यक्तिगत विकास और चिंतनशील संवाद और कार्य करते हुए सीखने की प्रक्रिया के जरिए इसे समृद्ध करना; तथा
- वास्तविक धरातल पर कार्य कर और स्वयं उस स्थान पर रहकर प्रायोगिक शिक्षा के द्वारा समुदाय के साथ एकमेक होने, उद्यमिता सीखने और प्रवीक्षण की अवधि में संदर्भपरक वास्तविकताओं से साक्षात्कार के द्वारा स्नातकों को विकास प्रबंधन पेशेवर में बदलना।

पीडीएम पाठ्यक्रम मुख्य रूप से सहभागितापूर्ण शासन और संसाधनों, उद्यमों, संस्थाओं और प्रयासों के प्रबंधन के लिए आवश्यक क्षमताएँ प्रदान करने पर केंद्रित है। डीएमआई का यह पाठ्यक्रम विविध संस्थागत सहयोगियों के नेटवर्क के माध्यम से स्वानुभवयुक्त शिक्षण और परंपपागत क्लासरूम शिक्षण दोनों का एक अच्छा संयोग है।

क्षमता संवर्धन कार्यक्रम (सीईपी)

संस्थान के मिशन और विजन की प्राप्ति में 'क्षमता संवर्धन कार्यक्रम' (कंपीटेन्सीज एनहैन्समेंट प्रोग्रैम्स, सीईपी) एक अहम् गतिविधि है, और इसकी दो श्रेणियाँ है –

पहली श्रेणी में वे कार्यक्रम आते हैं, जो किसी विशेष संगठन या विशेष सेवाग्रही के लिए होते हैं और वे उनके प्रमोटरों, सदस्यों, कर्मचारियों और उनके द्वारा चिह्नित अन्य संगठनों की जरूरतों के हिसाब से व्यक्तिगत संगठनों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। डीएमआई ने पहले से ही अपने तीन प्रमुख साझेदारों के लिए सीईपी कार्यक्रमों पर काम करना शुरू कर दिया है।

दूसरी श्रेणी के कार्यक्रम वे हैं जो डीएमआई से जुड़े संगठनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डीएमआई के प्राध्यापकों द्वारा उनकी रुचि और पहल के आधार पर डिजाइन किए जाते हैं। इस तरह के अनिर्णीत कार्यक्रमों की सूचना निर्धारित तिथियों से कई महीने पहले ही दे दी जाती है, ताकि उनमें शामिल होने के लिए लोगों को प्रायोजित करने में संगठन को मदद मिल सके।

सीईपी कार्यक्रमों की अवधि कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक की हो सकती है, जो उसके कार्यक्षेत्र पर निर्भर करता है और इसे डीएमआई के भीतर या सेवाग्रही संगठन द्वारा चुने गए स्थान में भी संचालित किया जा सकता है।

सहयोगपूर्ण क्रियात्मक शोध और शिक्षा (केयर) केन्द्र

अपने मिशन और विजन की प्राप्ति के लिए डीएमआई ने 'सहयोगपूर्ण क्रियात्मक शोध और शिक्षा केन्द्रों' अथवा 'कॉलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च एंड एजुकेशन (केयर) सेंटर' की स्थापना निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए की है:

- स्थायित्वयुक्त आजीविका
- सहकारी समुदाय (कलेक्टिव्ट्स) और लोक–पहल (कॉमन्स)
- नेतृत्व और शासन

ये केन्द्र नवाचार और शुरुआती संपोषण केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं। इन केन्द्रों की व्यापक गतिविधियाँ निम्नलिखित कार्यों के इर्द–गिर्द होती हैं:

- सहभागितायुक्त निर्माण और सर्वोत्तम तरीकों के प्रचार–प्रसार के लिए वातावरण का निर्माण करने सहित ज्ञान प्रबंधन का कार्य;
- संस्थानों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को सहायता देने के लिए जीवन–चक्र प्रबंधन मार्गदर्शन;
- बहुहितधारक संवादपरक शिक्षण; सहयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधानय और साक्ष्य आधारित नीतिगत पैरोकारी; तथा
- अग्रणी शैक्षणिक / शोध संस्थानों के सहयोग से सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन।

अकादमिक गतिविधियाँ

अपने मिशन के अनुरूप संगत मुद्दों और विभिन्न विषयों पर डीएमआई कई कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ, सेमिनार और इसी तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करता है। इस तरह के अकादमिक आयोजन या तो इसके सीईपी केन्द्रों और केयर केन्द्रों की ओर से किये जाते हैं, अथवा एकीकृत रूप से आयोजित किए जाते हैं जहाँ विभिन्न सीईपी और केयर केन्द्रों के सरोकारों पर एक साथ चर्चा होती है। इन अकादमिक आयोजनों में प्रमुख शिक्षाविद्, विकास प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से कार्य कर रहे विकास प्रबंधन पेशेवर और चिन्तन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति भाग लेते हैं।

अनुसंधान, परामर्श और प्रकाशन

डीएमआई अपने सेवाग्रही संगठनों को प्रदान की जानेवाली अपनी परामर्शकारी गतिविधियों के माध्यम से अकादमिक अनुसंधान का कार्य निरन्तर करता रहता है। महत्त्वपूर्ण प्रबंधकीय और संगठनात्मक समस्याओं को सुलझाने में सेवाग्रहियों की मदद करने के अतिरिक्त परामर्शकारी गतिविधियाँ इसके प्राध्यापकों को प्रबंधन की वास्तविक समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से निपटने का अनुभव हासिल कराने का अवसर प्रदान करने के साथ ही कई केस–स्टडी और शोधपरक आलेखों का आधार बनती हैं और इसी क्रम में ये पीडीएम और सीईपी जैसे पाठ्यक्रमों को भी समृद्ध करती हैं।

हमारे प्रतीक-चिह्न (लोगो) के बारे में

DMI
सुविद्या सुविनियोगात् सुविकासः

विकास प्रबंधन संस्थान
Development Management Institute

हमारे प्रतीक–चिह्न (लोगो) का ज्यामितीय ढाँचा उस कठोर अध्यवसाय और अनुशासन को प्रतीकित करता है, जो किसी भी प्रकार के विकास और संवृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसके ठीक केंद्र में स्थित एक ठोस वर्ग स्वयं संस्थान को दर्शाता है। इसके चारों ओर जो अष्टभुजाकार आकृति है, उससे जुड़ती हुई चार रेखाएँ ऐसे चार मार्गों को संकेतित करती है, जो बाहरी दुनिया के साथ इस संस्थान के मजबूत अंतर्संबंध में निहित हैं। ठोस वर्ग के चारों ओर मधुकोश या शहद के छत्ते के आकार के चार खाने हमारे चार महत्त्वपूर्ण हितभागियों– राज्य, नागरिक समाज, बाजार और समुदाय को दर्शाते हैं। चार कोनों पर पत्ते के आकार की संरचनाएँ एक खुली किताब को दर्शाती हैं, जो हमारे अकादमिक या शैक्षिक संस्थान होने की धारणा को मजबूत करती हैं। पत्तियों के साथ जो वृत्त बने हुए हैं, वे हमारे उन सशक्त स्नातकों को दर्शाते हैं जिनके व्यक्तित्व विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, परिचालन क्षमताओं और संदर्भपरक समझ की एकीकृत शिक्षा हासिल कर दिनोंदिन खिल या निखर रहे हैं। इस लोगो (LOGO) का स्वरूप सुतीक्ष्ण होते हुए भी गतिशील नजर आता है, जो एक साथ अनुशासन, उत्कृष्टता और जागृतिपूर्ण सतर्कता का द्योतक है। टेराकोटा यानी मटियारा भूरापन लिए लाल रंग में बना यह प्रतीक अपनी जड़ों से जुड़े होने और विनम्र होने के साथ ही ऐसी अच्छी शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसे भली–भाँती काम में लाया जाए, तो वह सतत् वर्द्धनशील खुशहाली और समृद्धि लाती है।

मुखिया जी पंचायत भवन के लिए घर से निकल रही हैं।
आदाब मुखिया जी
प्रणाम रहीम भाई।
मुखिया बहू हमारा वृद्धापेंशन करवा देती तो बुढ़ापा में दिक्कत कम हो जाती।
हमारे टोला का चापाकल सूख गया है। पूरे टोला को पानी पीने तक की दिक्कत हो गई है। इस पर जरा ध्यान दीजिये।
भैया, मैं अभी ग्राम पंचायत की बैठक के लिए जा रही हूँ। मैं प्रत्येक दिन 10 बजे से 12 बजे तक पंचायत भवन में रहूँगी। किसी व्यक्ति को मुखिया से अगर कोई काम है तो वह पंचायत भवन में आकर मुझसे मिल सकता है।

पंचायत भवन
सूचना पट

[1] ग्राम पंचायत का कोरम- बिहार पंचायत राज अधिनियम- 2006 (धारा-21)

[1] ग्राम पंचायत का कोरम- बिहार पंचायत राज अधिनियम- 2006 (धारा-21)

[2] बिहार पंचायत राज नियमावली { नियम 6 (2)}

आज की बैठक का एजेंडा इस प्रकार है-[1]

1) पिछली बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि
2) ग्राम पंचायत सदस्यों को पंचायत की वित्तीय स्थिति (फंड) की जानकारी देना
3) पंचायत में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना
4) इस वित्तीय वर्ष के लिए कार्य-योजना का निर्माण
5) अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार कर पंचायत समिति को भेजना
6) पिछले वित्तीय वर्ष के ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा
7) ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का गठन
8) इसके अलावा अन्य बिन्दु जो ग्राम पंचायत विचार विमर्श के लिए आवश्यक समझे

चंद्रदेव जी, आज के दिन पंचायत के पास कितनी राशि उपलब्ध है?

चूँकि वित्तीय वर्ष अभी तुरंत ही समाप्त हुआ है इसलिए पंचायत निधि में अभी बहुत कम राशि बची है। लेकिन पंद्रह दिनों में राशि प्राप्त होने की संभावना है। पिछले वर्ष 40 लाख की राशि पंचायत को प्राप्त हुई थी। इस वर्ष भी लगभग उतनी ही राशि प्राप्त होने की आशा है।

पिछले वित्तीय वर्ष की राशि को किस प्रकार खर्च किया गया?

[1]ग्राम पंचायत का एजेन्डा- बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली-2015 {नियम-7(3)}

पिछले वित्तीय वर्ष में पंचायत में कुल दस योजनाएँ ली गयी थीं। चार योजनाएँ पूर्व वर्षों की लंबित थी। इस तरह कुल चौदह योजनाएँ पिछले वित्तीय वर्ष में चल रही थी। आठ योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, एक योजना भूमि विवाद के कारण लंबित है, जबकि पाँच योजनाएँ राशि के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाई हैं।

आज के दिन जब पंचायत में राशि नहीं है तो अधूरी योजनाएँ कैसे पूरी होंगी?

लंबित योजना इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि से पूर्ण की जायेगी।

इस वर्ष हमें ध्यान रखना होगा कि प्राप्त होने वाली राशि से लगभग सवा गुणा अधिक तक की राशि की ही योजना ली जाय और यथासंभव उसे इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाय।

बैठक में विचार हेतु अगला महत्वपूर्ण बिन्दु है - इस वित्तीय वर्ष हेतु योजनाओं का चयन। इसके लिए वार्ड के लोग महत्वपूर्ण योजनाओं का चयन करेंगे। वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता वार्ड सदस्य करते हैं और वार्ड सभा के लिए कोरम वार्ड में कुल वोटरों की संख्या का 10 वाँ भाग अथवा 50 व्यक्ति है।

- वार्ड सभा अत्यंत महत्वपूर्ण सभा है। निर्माण कार्य से संबंधित योजना अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिए लाभुकों का चयन इसी सभा में होता है।
- लोगों को श्रमदान के लिए तैयार करने या फिर किसी सार्वजनिक काम के लिए राशि आदि इकटठा करने के लिए इस सभा का उपयोग किया जाना है।

जी हाँ

जी हाँ

जी हाँ

जी हाँ

जी हाँ

मैं सभी वार्ड सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि दस दिनों के अंदर वार्ड सभा आयोजित कर प्राथमिकता के साथ योजनाओं का चयन कर लिया जाय। पुनः इन योजनाओं को ग्रामसभा में रखा जायेगा। इसके बाद ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा सकेगी।

[1] वार्ड-सभा के लिए कोरम- बिहार पंचायत राज (संशोधित अधिनियम- 2015)- धारा-170ए(1)

लेकिन जनता की आकांक्षा बहुत बढ़ी हुई है। वे हमसब से बहुत आशा लगाए हुए हैं। चुनी गई योजनाओं की संख्या प्राप्त होने वाली राशि के हिसाब से कहीं ज्यादा हो जाती है।

सही कहते हैं नारायण भाई। हमारे वार्ड में भी ऐसी ही स्थिति है।

चंद्रदेव जी, आप सभी सदस्यों से वार्ड सभा में पास हुए योजनाओं की सूची लेकर संकलित कर लीजिएगा।

जितनी राशि हमें इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त होगी उनसे हम सभी योजना नहीं कर पायेंगे। लेकिन एक उपाय है कि वार्ड सभा से प्राप्त हुई योजनाओं को हम दो भागों में बाँट सकते है। एक जिसे हम पंचायत निधि से शुरु करेंगे, दूसरा जिसे हम जन सहयोग से शुरु कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी से सहयोग मांगती हूँ। इसे हम लोग ग्रामसभा की बैठक में भी रखेंगे।

हमें गाँव की स्वच्छता पर भी ध्यान देना है। भविष्य में हमें यह कार्ययोजना बनानी है कि गाँव की हर गली पक्की हो और प्रत्येक घर में पक्की नाली हो।[1]

चंद्रदेवजी, ग्राम सभा की बैठक आज से बीस दिन बाद बुलाई जाएगी। आप रामकिसुन रिक्शा वाले तथा गनउरी से कह दीजिए माइक से पंचायत में इसकी घोषणा करवा दें।
सभी वार्ड सदस्यों से भी अनुरोध है कि वे अपने स्तर से अपने-अपने वार्ड में इसकी सूचना दे दें।

चंद्रदेव जी, ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर इसे सटवा दीजिये।

जरूर

कल मुझे पंचायत में चल रही योजनाओं को देखना है। चंद्रदेव जी, आप 10 बजे पंचायत भवन में आ जाएंगे। सभी वार्ड सदस्यों से भी अनुरोध है कि वे भी 10 बजे तक पंचायत भवन में आने की कृपा करेंगे।

चंद्रदेव जी, आप योजनाओं का रिकार्ड साथ में रख लेंगे।

[1]मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना

प्राथमिक विद्यालय

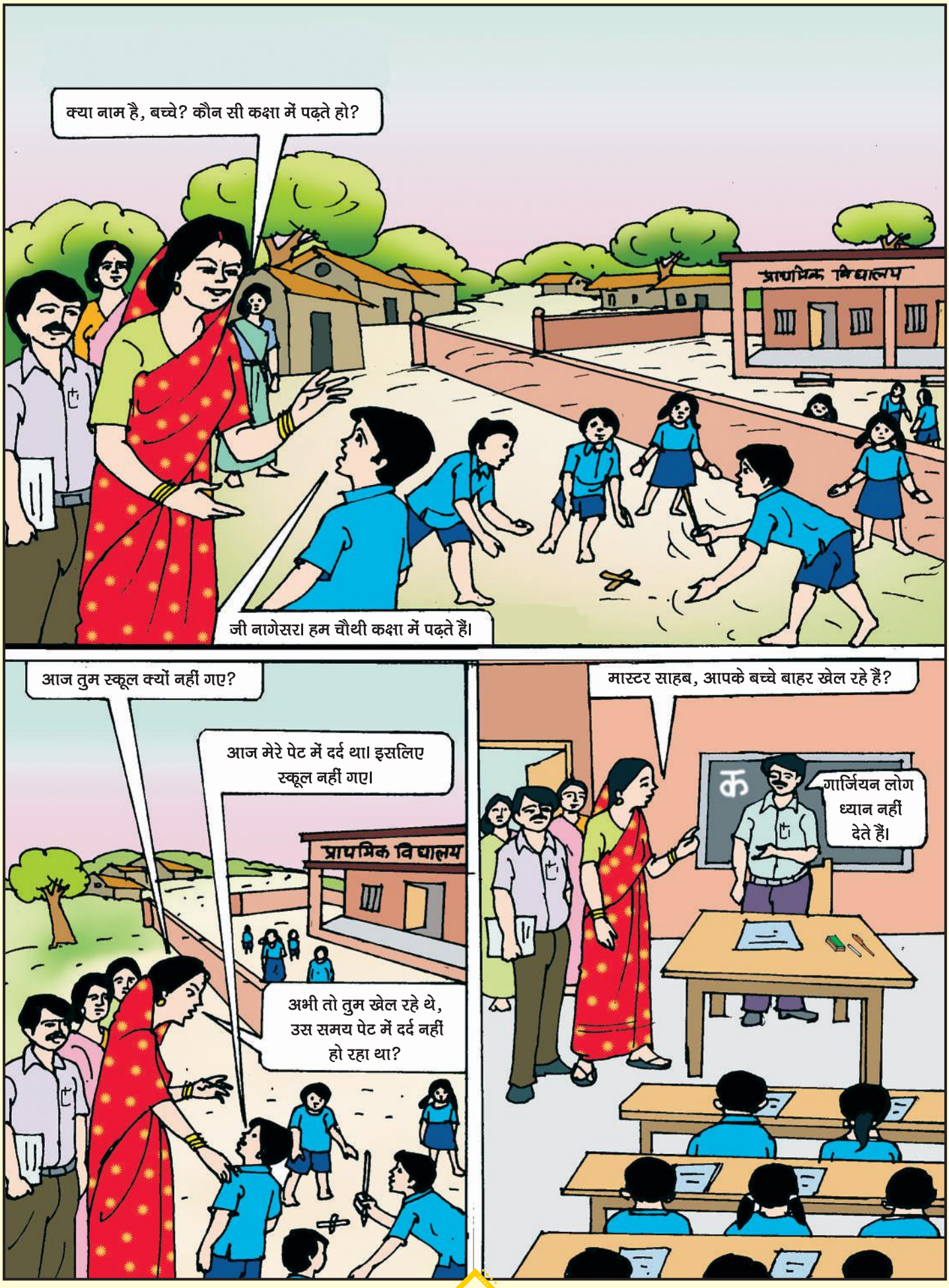
क्या नाम है, बच्चे? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो?
प्राथमिक विद्यालय
जी नागेसर। हम चौथी कक्षा में पढ़ते हैं।
आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए?
आज मेरे पेट में दर्द था। इसलिए स्कूल नहीं गए।
प्राथमिक विद्यालय
अभी तो तुम खेल रहे थे, उस समय पेट में दर्द नहीं हो रहा था?
मास्टर साहब, आपके बच्चे बाहर खेल रहे हैं?
क
गार्जियन लोग ध्यान नहीं देते हैं।

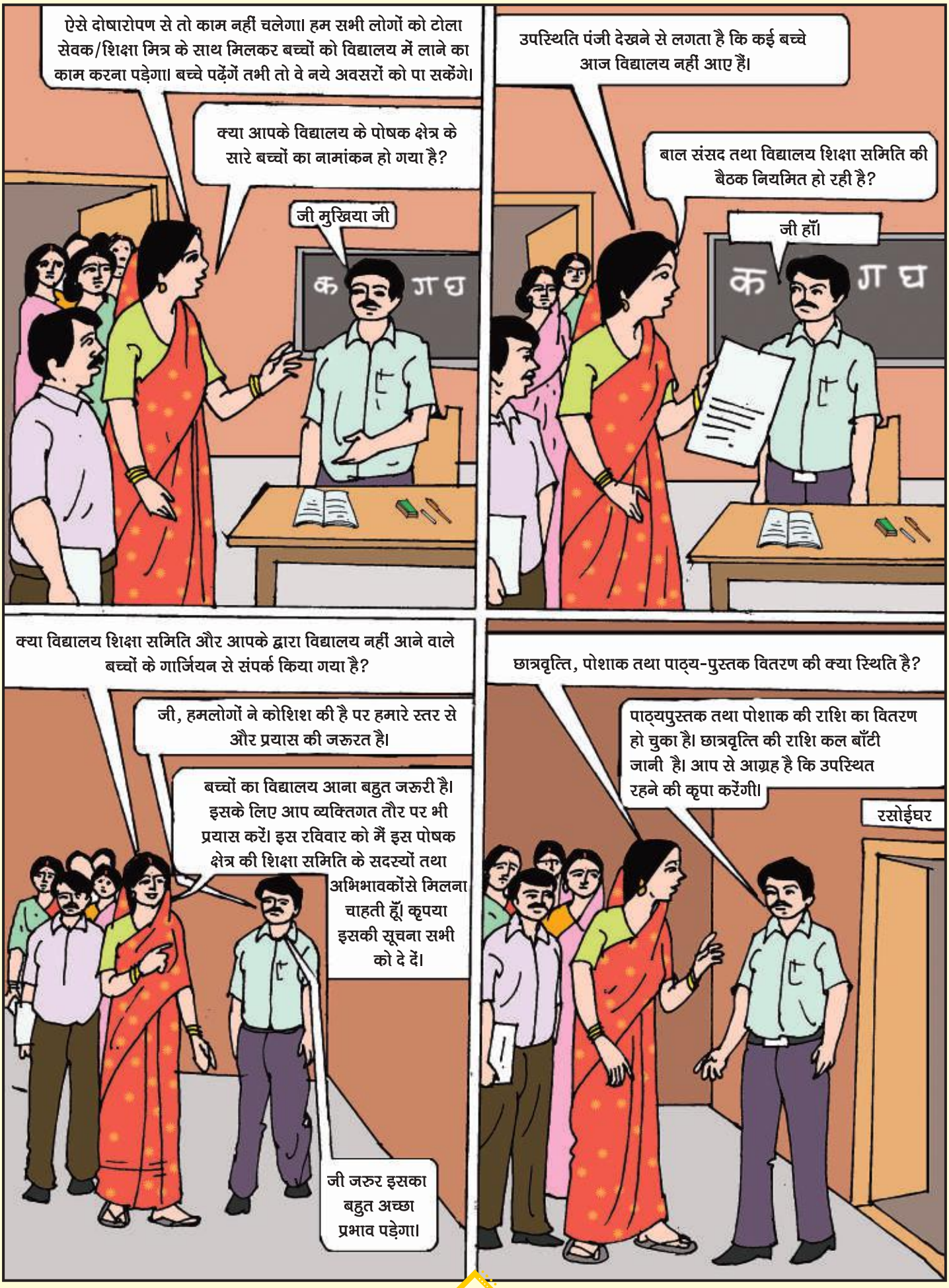
ऐसे दोषारोपण से तो काम नहीं चलेगा। हम सभी लोगों को टोला सेवक/शिक्षा मित्र के साथ मिलकर बच्चों को विद्यालय में लाने का काम करना पड़ेगा। बच्चे पढ़ेंगें तभी तो वे नये अवसरों को पा सकेंगे।
क्या आपके विद्यालय के पोषक क्षेत्र के सारे बच्चों का नामांकन हो गया है?
जी मुखिया जी
क ग घ
उपस्थिति पंजी देखने से लगता है कि कई बच्चे आज विद्यालय नहीं आए हैं।
बाल संसद तथा विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक नियमित हो रही है?
जी हाँ।
क ग घ
क्या विद्यालय शिक्षा समिति और आपके द्वारा विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों के गार्जियन से संपर्क किया गया है?
जी, हमलोगों ने कोशिश की है पर हमारे स्तर से और प्रयास की जरूरत है।
बच्चों का विद्यालय आना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप व्यक्तिगत तौर पर भी प्रयास करें। इस रविवार को मैं इस पोषक क्षेत्र की शिक्षा समिति के सदस्यों तथा अभिभावकोंसे मिलना चाहती हूँ। कृपया इसकी सूचना सभी को दे दें।
जी जरुर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
छात्रवृत्ति, पोशाक तथा पाठ्य-पुस्तक वितरण की क्या स्थिति है?
पाठ्यपुस्तक तथा पोशाक की राशि का वितरण हो चुका है। छात्रवृत्ति की राशि कल बाँटी जानी है। आप से आग्रह है कि उपस्थित रहने की कृपा करेंगी।
रसोईघर

आज भोजन में क्या बन रहा है?
चावल तथा आलू-सोयाबीन की सब्जी बनी है।
रसोईघर
मेनू
मुझे थोड़ा खाना तो चखाईये!
सब्जी में नमक तनिक ज्यादा है। आगे से ध्यान रखें।
रसोईघर
शौचालय की सफाई अच्छी नहीं है। बच्चों को शौचालय के सही इस्तेमाल का तरीका बताइये तथा उसे साफ रखने की सीख दीजिए। विद्यालय परिसर में बच्चों के सहयोग से बागवानी कराईये। इससे बच्चों में आपसी सहयोग बढ़ेगा और उन्हें स्वच्छता की शिक्षा भी मिलेगी।
शौचालय
आपकी कोई समस्या?
विद्यालय की चहारदिवारी टूट गई है। इसकी मरम्मत हो जाती तो अच्छा होता।
मैं इसके लिए जरूर प्रयास करूँगी।
विद्यालय

आँगनवाड़ी केन्द्र

जरा बाल-बाड़ी उपस्थिति पंजी, पोषाहार का स्टाक रजिस्टर तथा ऑंगनवाड़ी विकास समिति की बैठक की पंजी तो लाइये।
प्रति बच्चे कितना पोषाहार निर्धारित है?
ऑंगनवाड़ी केन्द्र
अ
क
60 ग्राम चावल, 30 ग्राम दाल प्रति बच्चा प्रतिदिन
गर्भवती तथा धात्री माँ के लिए कितना पोषाहार निर्धारित है?
तीन किलो चावल तथा 1.5 किलो दाल, इसके अलावा तीन वर्ष तक के बच्चे जो आंगनबाड़ी केन्द्र पर नहीं आते हैं के लिए 2.5 किलो चावल और 1 किलो दाल घर ले जाने के लिए प्रत्येक माह दिया जाता है।
भंडार आप कहाँ रखती हैं, दिखलाइये?
आपके पोषक क्षेत्र में अभी 6 महीना से 6 वर्ष तक के कितने बच्चे, कितनी गर्भवती माँ, धात्री माँ तथा कितनी किशोरी बच्चियाँ हैं? जरा अपना सर्वे रजिस्टर दिखलाइए।
जी। रजिस्टर देखा जाये!
ऑंगनवाड़ी केन्द्र
अ
क
आपको आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य उप केन्द्र की ANM के साथ मिलकर कार्य करना है। आपलोग कब मिलती है?
हमलोग सप्ताह में एक दिन अवश्य मिलते हैं। बुधवार को स्वास्थ्य उप केन्द्र पर टीकाकरण का दिन है। पल्स-पोलियो के लिए भी हम काम करते हैं। माह में रोस्टर के अनुसार एक शुक्रवार को ऑंगनवाड़ी केन्द्र पर भी टीकाकरण करवाया जाता है।
अ
क
त

आप अपने पोषक क्षेत्र के लिए जन्म और मृत्यु की सूचना के निबंधन की उप रजिस्ट्रार है। आप जन्म एवं मृत्यु अंकित करने वाली पंजी दिखलाइए।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मैं बच्चियों का फार्म भरकर तैयार करती हूँ। अनाथ बच्चों के लिए भी फार्म भरती हूँ ताकि उन्हें परवरिश योजना का लाभ मिल सके।
निबंधन रजिस्टर
आँगनवाड़ी केन्द्र
बहुत अच्छा। मैं अपना मन्तव्य लिखती हूँ।
मन्तव्य पंजी

स्वास्थ्य उपकेन्द्र
जरा अपना जच्चा-बच्चा सुरक्षा कार्ड तो दिखलाइये।
स्वास्थ्य उपकेन्द्र
आपको अबतक स्वास्थ्य उपकेन्द्र से क्या-क्या सहायता मिली है?
कुछ शारीरिक लक्षणों के बाद मैं आशा दीदी से मिली। उन्होंने बताया कि मेरे गर्भवती होने की संभावना है।
फिर मैं इन्हें स्वास्थ्य उपकेन्द्र ले आई। इन्हें आवश्यक जाँच की सलाह दी गयी है

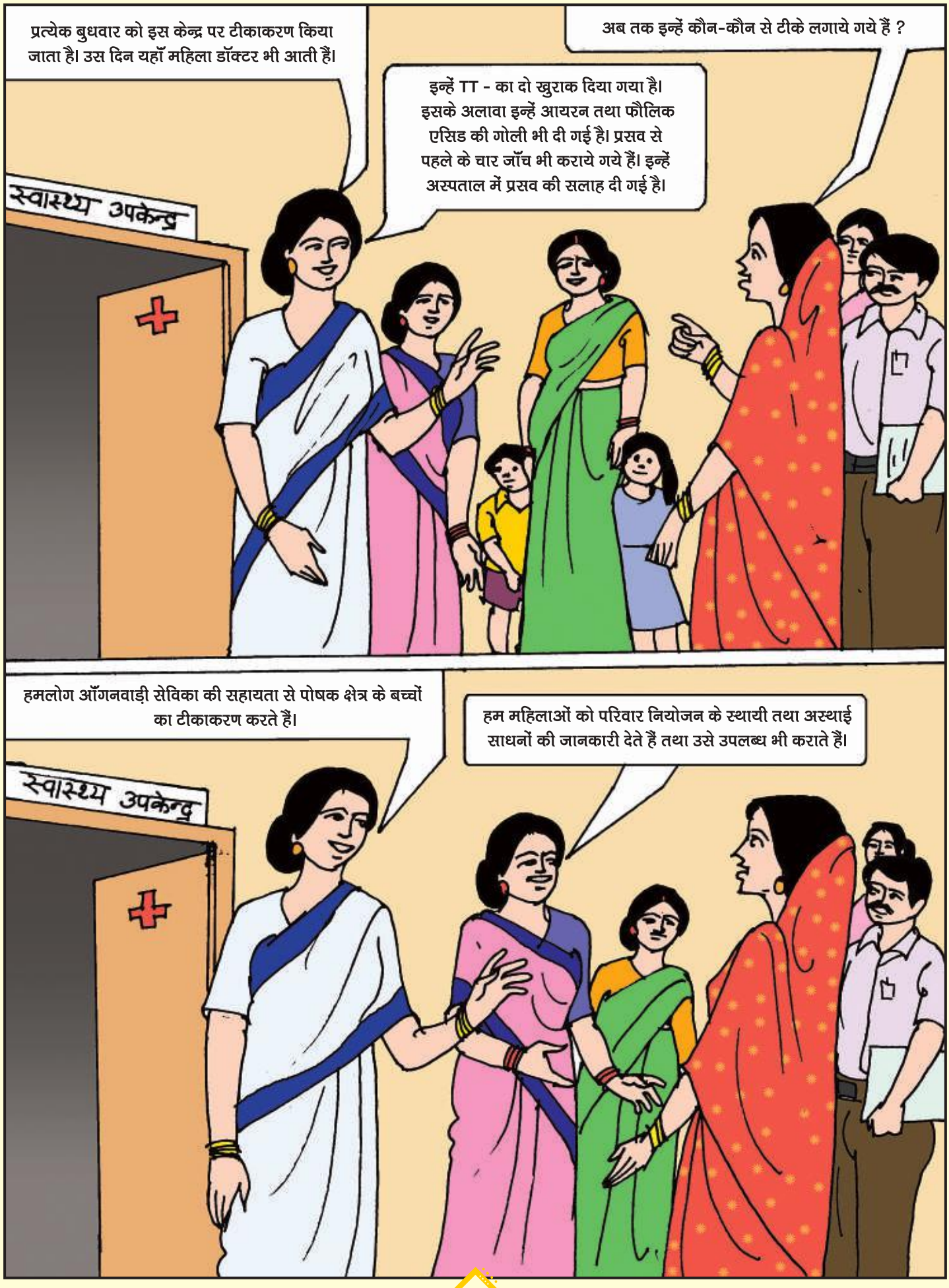
प्रत्येक बुधवार को इस केन्द्र पर टीकाकरण किया जाता है। उस दिन यहाँ महिला डॉक्टर भी आती हैं।
अब तक इन्हें कौन-कौन से टीके लगाये गये हैं ?
इन्हें TT - का दो खुराक दिया गया है। इसके अलावा इन्हें आयरन तथा फौलिक एसिड की गोली भी दी गई है। प्रसव से पहले के चार जाँच भी कराये गये हैं। इन्हें अस्पताल में प्रसव की सलाह दी गई है।
स्वास्थ्य उपकेन्द्र
हमलोग आँगनवाड़ी सेविका की सहायता से पोषक क्षेत्र के बच्चों का टीकाकरण करते हैं।
हम महिलाओं को परिवार नियोजन के स्थायी तथा अस्थाई साधनों की जानकारी देते हैं तथा उसे उपलब्ध भी कराते हैं।
स्वास्थ्य उपकेन्द्र

मनरेगा योजना स्थल की ओर पहुँचती है।
मनरेगा के अंतर्गत यह वृक्षारोपण की योजना है, जिसमें सड़क के दोनों ओर सरकारी जमीन पर वृक्ष लगाये जा रहे हैं।
योजना का साइन बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है।
साइन बोर्ड पिछले दिन की आँधी में क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे मरम्मत के बाद लगा दिया जायेगा।

कल आप साइनबोर्ड लगाकर मुझे सूचित करेंगें।
जी, बहुत अच्छा।
रेकार्ड में देखे, यह योजना कितनी राशि की है?
यह योजना ५ लाख की है जिसपर ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
जरा अपना जॉब कार्ड दिखलाइये।
मजदूरी कितने दिनों में मिलती है?
15 दिनों के अंदर बैंक खाता में मजदूरी का पैसा आ जाता है।
आपका बच्चा कहाँ है?
हम जैसी महिला मजदूरों के बच्चों को रखने के लिए एक पालनाघर बना हुआ है जिसमें एक महिला मजदूर उन की देखभाल करती हैं। उन्हें देखभाल करने के लिए योजना की तरफ से मजदूरी मिलती है।

आपको मालूम है कि वर्ष में इस योजना के लिए कितने दिन का रोजगार मिलता है?
जी एक परिवार को सौ दिन का।
आपको रोजगार पाने के लिए कहाँ आवेदन देना है, मालूम है?
जी, मालूम है। ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा प्रखंड स्तर पर प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं।

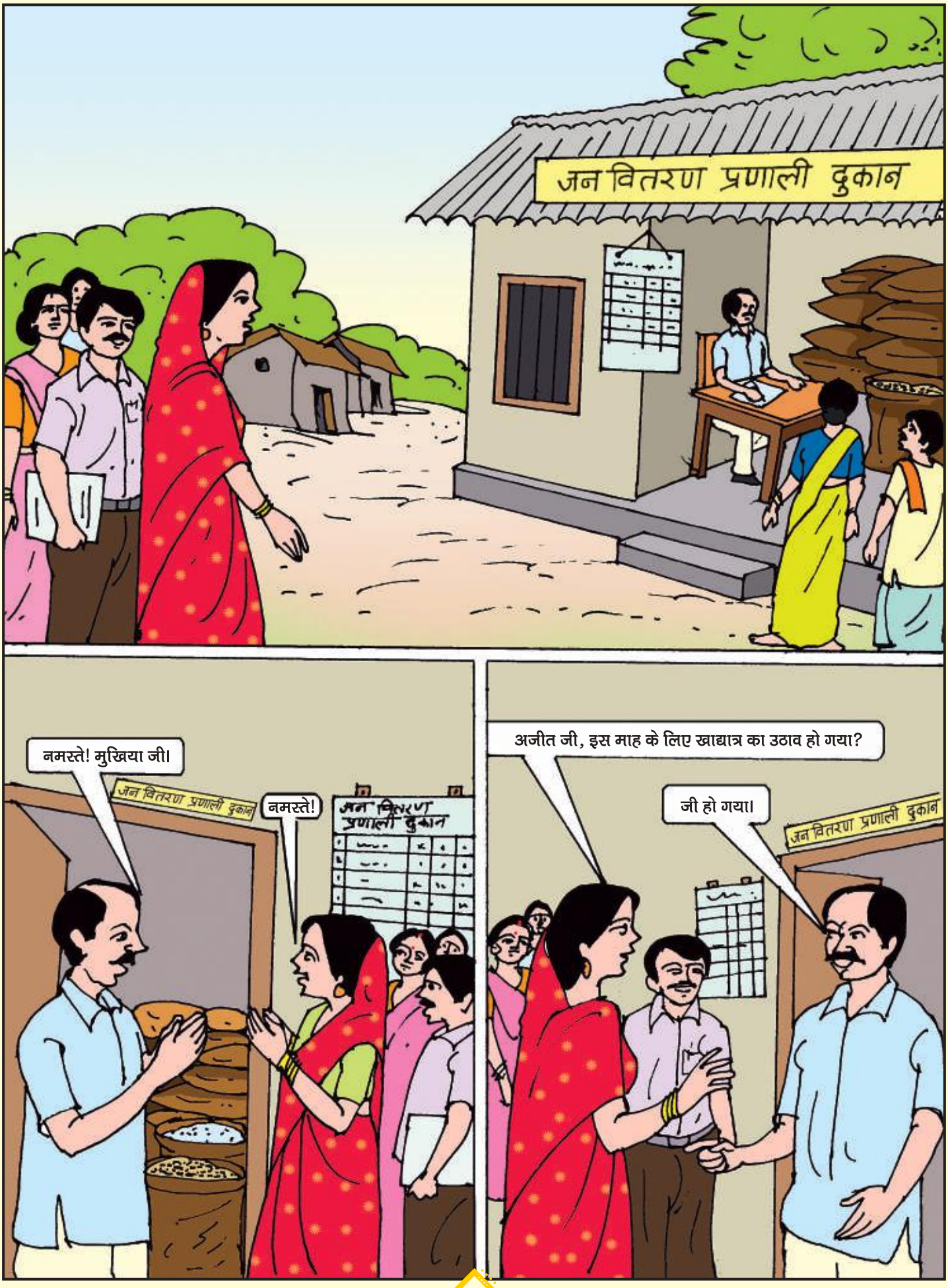
जन वितरण प्रणाली दुकान
नमस्ते! मुखिया जी।
जन वितरण प्रणाली दुकान
नमस्ते!
जन वितरण प्रणाली दुकान
अजीत जी, इस माह के लिए खाद्यात्र का उठाव हो गया?
जी हो गया।
जन वितरण प्रणाली दुकान

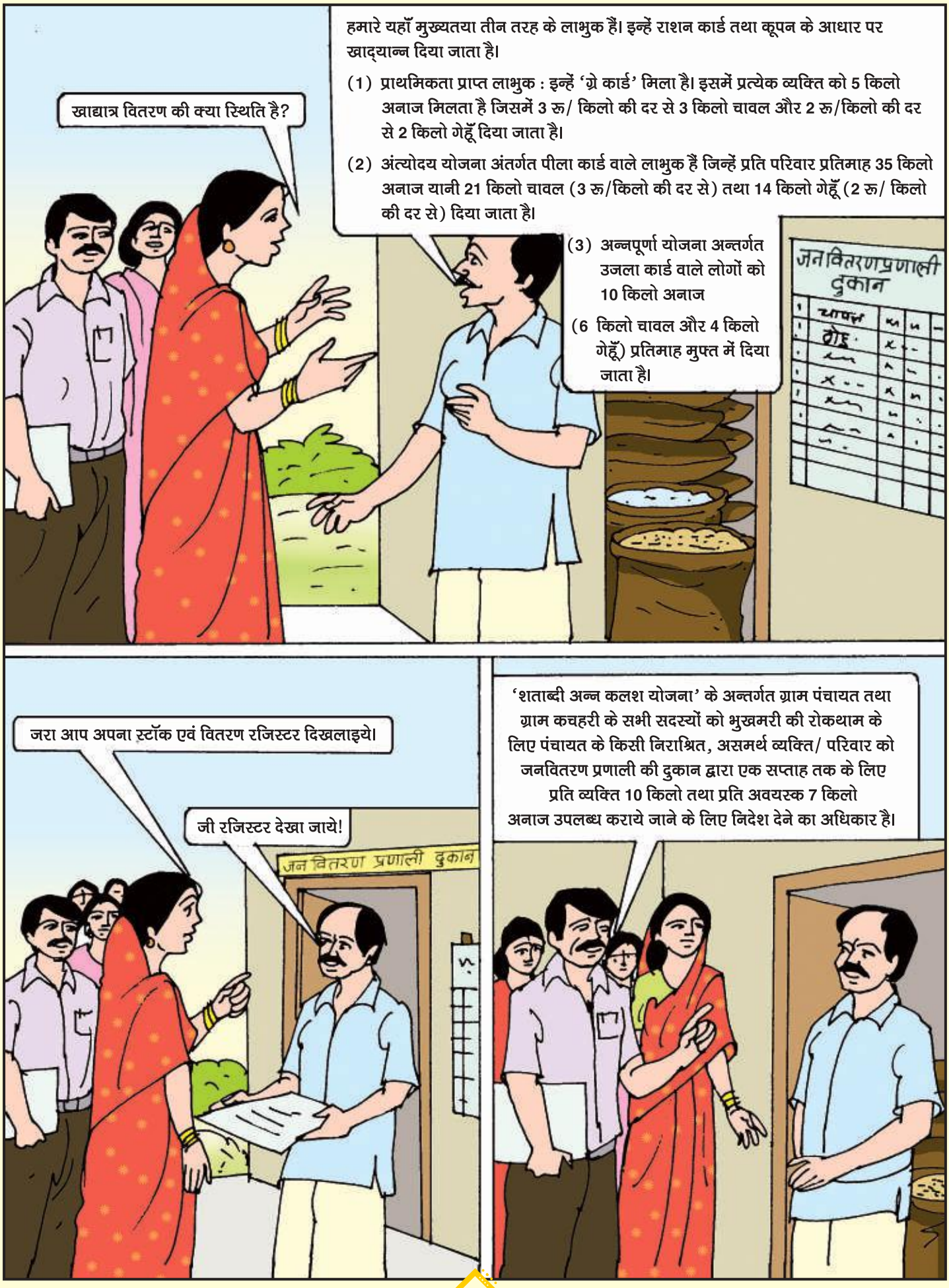
खाद्यान्न वितरण की क्या स्थिति है?
हमारे यहाँ मुख्यतया तीन तरह के लाभुक हैं। इन्हें राशन कार्ड तथा कूपन के आधार पर खाद्यान्न दिया जाता है।
(1) प्राथमिकता प्राप्त लाभुक : इन्हें 'ग्रे कार्ड' मिला है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है जिसमें 3 रू/ किलो की दर से 3 किलो चावल और 2 रू/किलो की दर से 2 किलो गेहूँ दिया जाता है।
(2) अंत्योदय योजना अंतर्गत पीला कार्ड वाले लाभुक हैं जिन्हें प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किलो अनाज यानी 21 किलो चावल (3 रू/किलो की दर से) तथा 14 किलो गेहूँ (2 रू/ किलो की दर से) दिया जाता है।
(3) अन्नपूर्णा योजना अन्तर्गत उजला कार्ड वाले लोगों को 10 किलो अनाज
(6 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ) प्रतिमाह मुफ्त में दिया जाता है।
जनवितरणप्रणाली दुकान
जरा आप अपना स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर दिखलाइये।
जी रजिस्टर देखा जाये!
जन वितरण प्रणाली दुकान
'शताब्दी अन्न कलश योजना' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तथा ग्राम कचहरी के सभी सदस्यों को भुखमरी की रोकथाम के लिए पंचायत के किसी निराश्रित, असमर्थ व्यक्ति/ परिवार को जनवितरण प्रणाली की दुकान द्वारा एक सप्ताह तक के लिए प्रति व्यक्ति 10 किलो तथा प्रति अवयस्क 7 किलो अनाज उपलब्ध कराये जाने के लिए निदेश देने का अधिकार है।

किरासन तेल के वितरण की क्या स्थिति है?
राशन कार्ड तथा कूपन के आधार पर वितरण किया जा रहा है।
जन वितरण प्रणाली दुकान
बहुत अच्छा।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति की बैटक आयोजित की जानी है। कृपया सदस्यों को इसकी सूचना दें। हमलोग मिल-बैठकर इसे और बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद करेंगे!
जन वितरण प्रणाली दुकान

[1] प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण

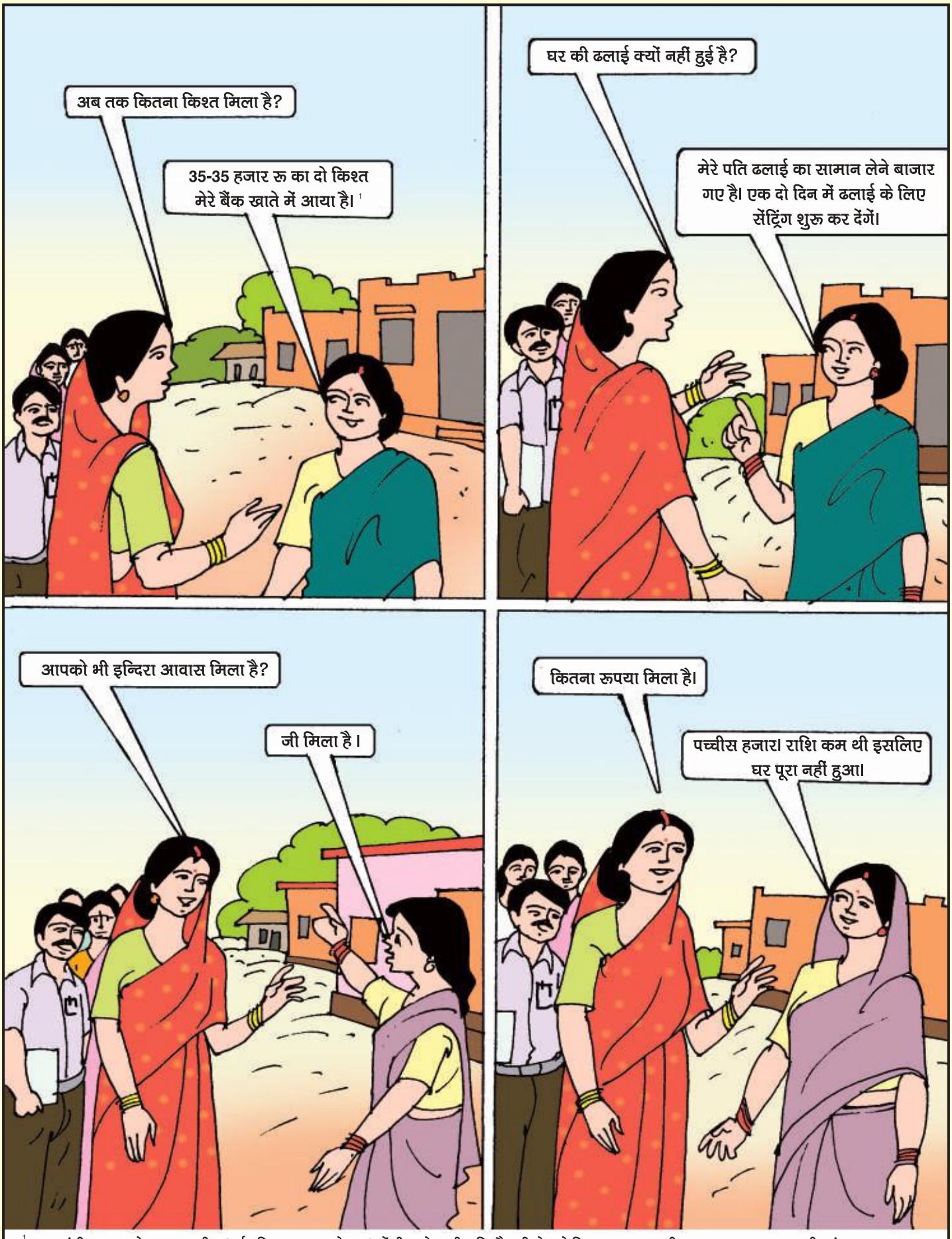

[1]प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पूर्व इन्दिरा आवास योजना) में दी जाने वाली राशि मैदानी क्षेत्र के लिए - एक लाख बीस हजार रुपया तथा पहाड़ी एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए - 1,30,000 रुपया

यह पुरानी योजना है। सरकार ने वर्ष 2004 से पूर्व बने इन्दिरा आवास को 'मुख्यमंत्री' इन्दिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के अन्तर्गत अधूरे आवास के छत निर्माण के लिए 30 हजार रू की सहायता राशि की व्यवस्था की है। इसके अन्तर्गत अधूरे इन्दिरा आवासों का सर्वेक्षण कर सूची जिला को भेजी गई है। राशि प्राप्त होने पर इन्हें अनुदान प्राप्त हो जायेगा।

मुख्यमंत्री शताब्दी इन्दिरा आवास प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जिस महादिलत परिवार द्वारा इन्दिरा आवास दो माह में पूरा कर लिया जायोगा उन्हें 2000 रू की अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी।

कुछ इन्दिरा आवासों में शौचालय नहीं है।

अब ''लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान'' के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय बनाने के बाद 12000 रू की सहायता राशि प्राप्त होती है। लाभुक इसके लिए मुखिया को शौचालय का फोटो तथा अपने बैंक खाता की विवरणी के साथ आवेदन कर सकते है। सक्षम पदाधिकारी के जॉच के बाद 15 दिनों के अन्दर राशि लाभुक के खातों में भेज दी जाती है।

बहुत अच्छा। हमें ''हर घर नल का जल'' तथा ''घर में शौचालय निर्माण, घर का सम्मान'' के नारे को पंचायत में उतारना है। 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना' के अंतर्गत अगले चार वर्षो में सभी घरों में नल का जल पहुँचाना है।

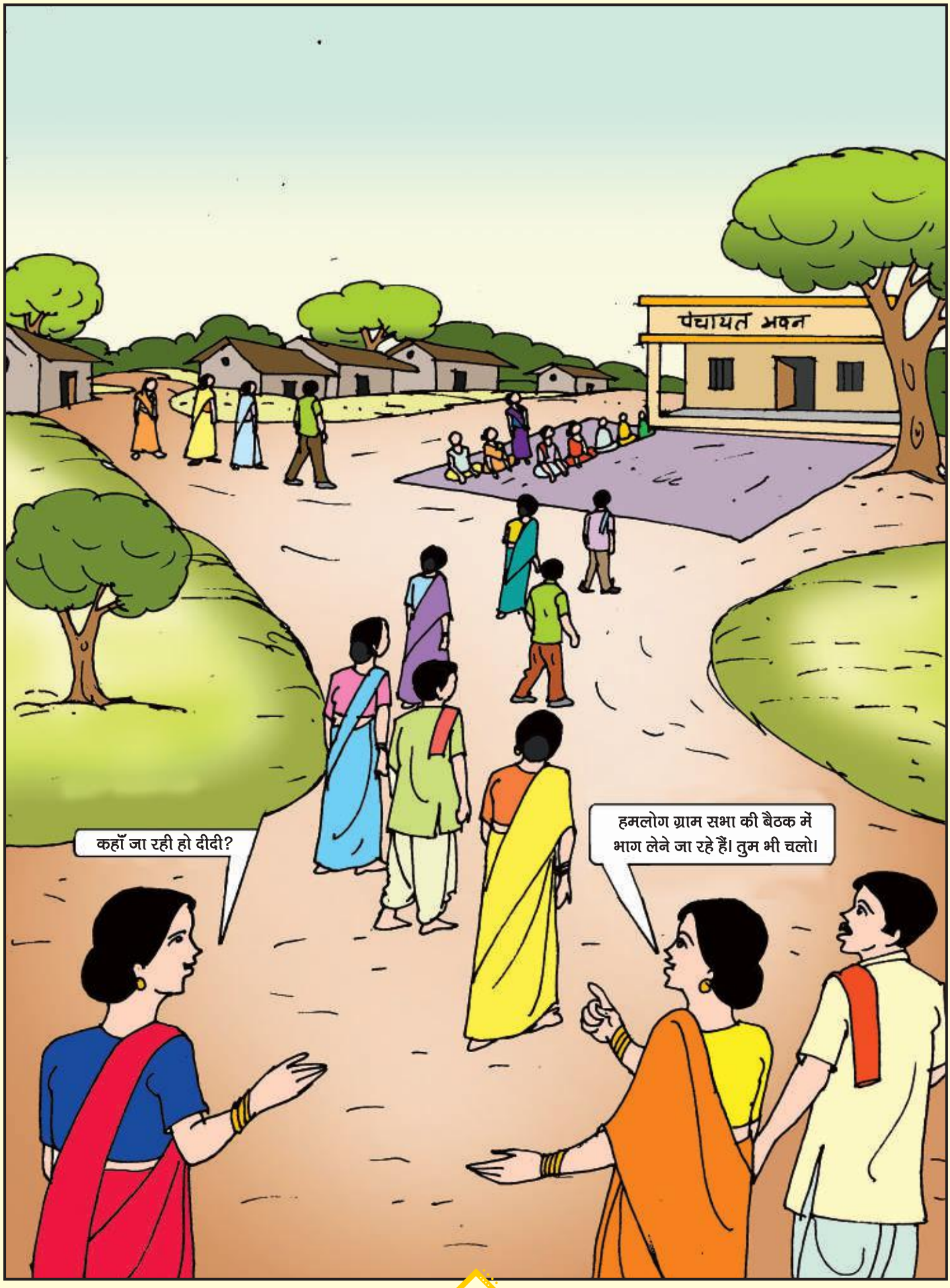
पंचायत भवन
कहाँ जा रही हो दीदी?
हमलोग ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। तुम भी चलो।

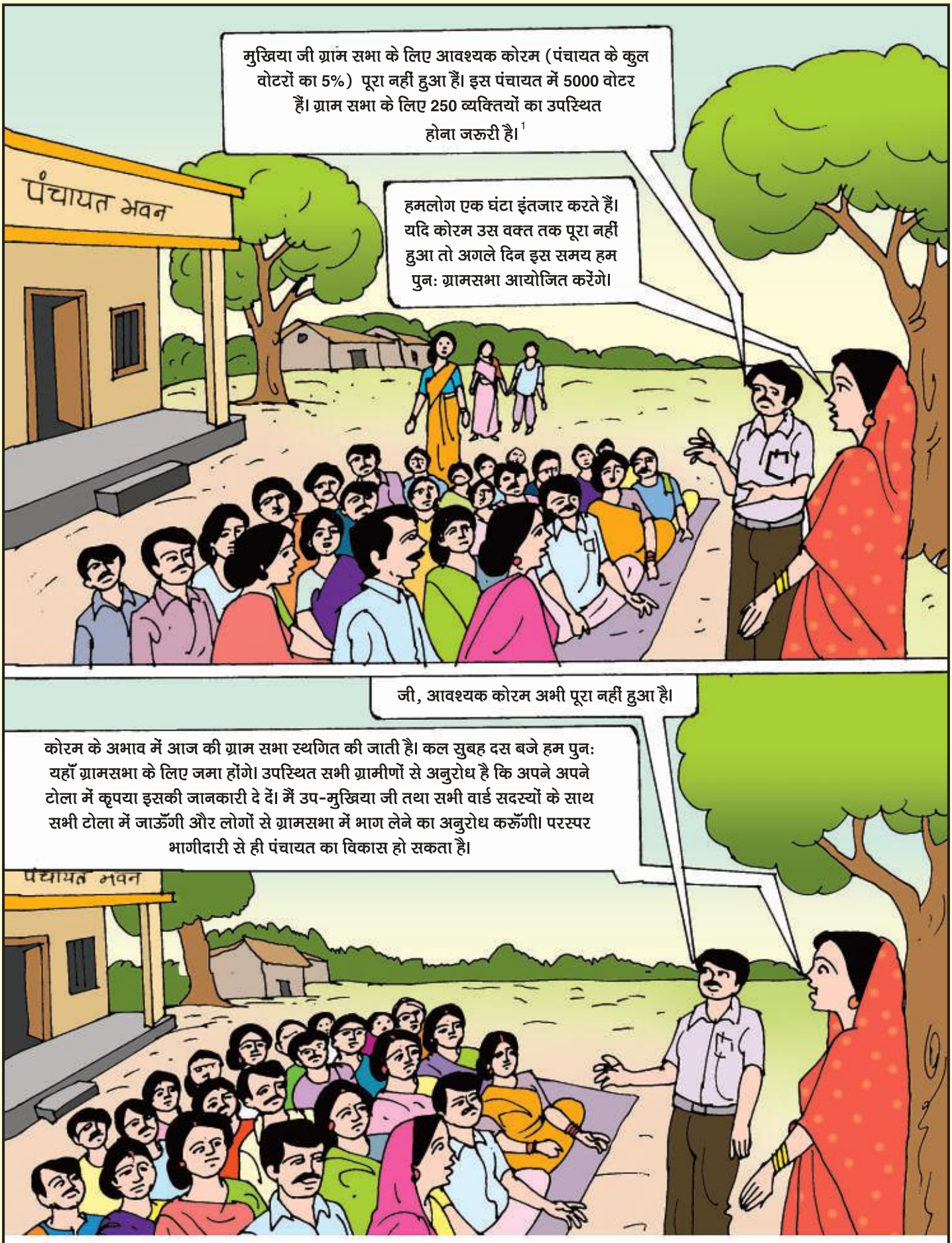

[1] ग्राम सभा के लिए आवश्यक कोरम- बिहार पंचायत राज्य अधिनियम- 2006 (धारा-5)

(अगले दिन की ग्राम सभा)

मैं समस्त पंचायतवासियों का हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ। मैं अपनी ओर से तथा ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों की ओर से आप सभी का ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी सौंपने के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ , पर हमें एक शिकायत भी है। ग्राम सभा में जितनी भागीदारी आपकी होनी चाहिए उतनी भागीदारी नहीं हुई है। विशेषकर महिलाओं की भागीदारी आज भी कम है। आप सब ने जब एक महिला को इस पंचायत का मुखिया बनाया है तो इसकी भी आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में माताओं और बहनों को भी यहाँ आने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि विकास कार्यों में हमसब की समान रूप से भागीदारी हो सके।

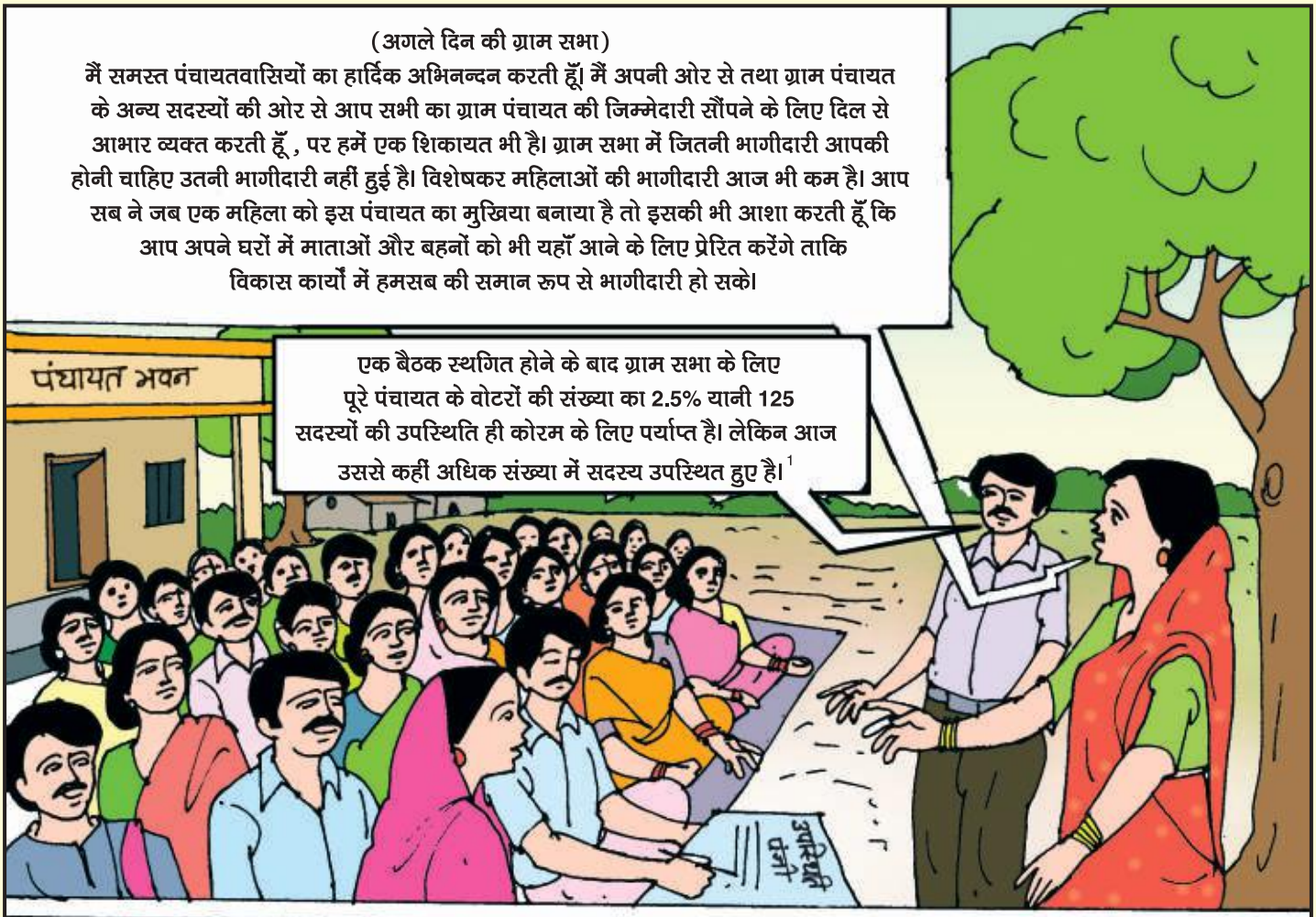

[1]एक बार स्थगित होने पर दूसरी बार ग्राम-सभा के आयोजन हेतू आवश्यक कोरम - ग्राम पंचायत राज अधिनियम-2006 (धारा-5)

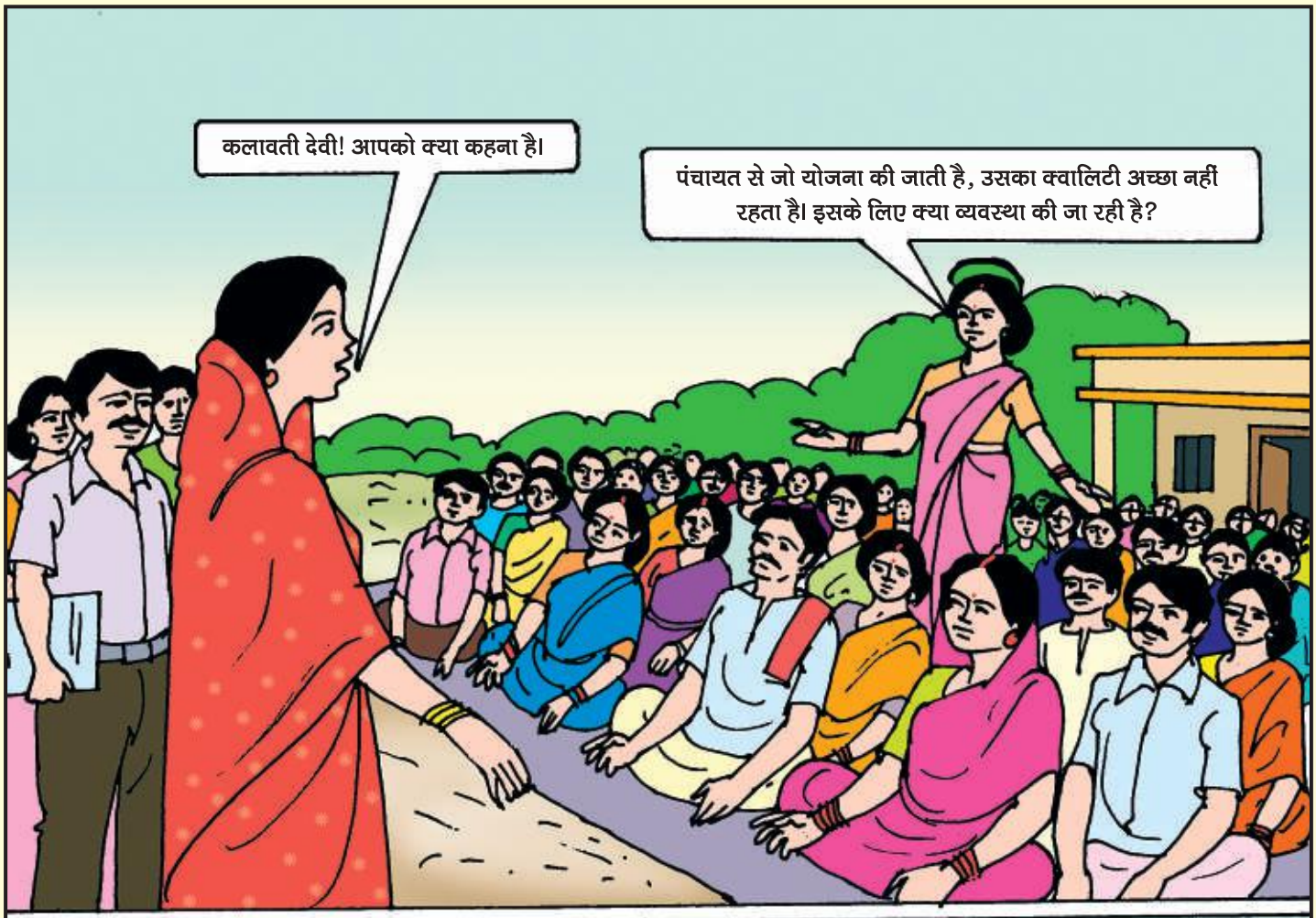

इसके लिए निगरानी समिति का प्रावधान हैं। निगरानी समिति का गठन ग्राम सभा द्वारा ही किया जाना है। इसमें ग्राम पंचायत के कोई सदस्य (मुखिया/उपमुखिया/वार्ड सदस्य) नहीं होंगे। ग्राम सभा आज योजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए निगरानी समिति के सदस्यों का चयन कर सकती है। निगरानी समिति अपना रिपोर्ट ग्राम सभा में रखेगी।[1]

[1]ग्राम पंचायत की निगरानी समिति का गठन- बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 (धारा-10)

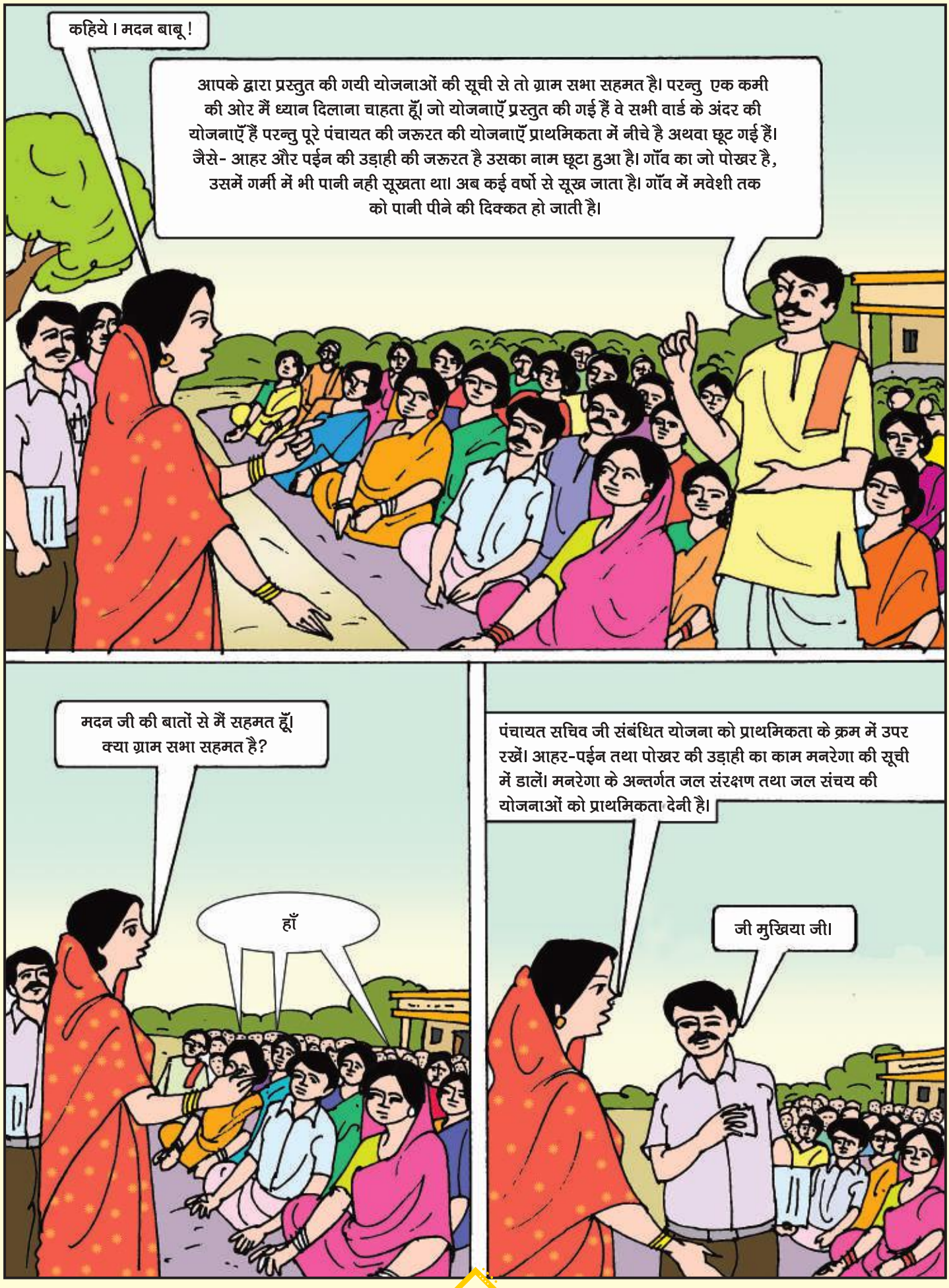
कहिये। मदन बाबू !
आपके द्वारा प्रस्तुत की गयी योजनाओं की सूची से तो ग्राम सभा सहमत है। परन्तु एक कमी की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जो योजनाएँ प्रस्तुत की गई हैं वे सभी वार्ड के अंदर की योजनाएँ हैं परन्तु पूरे पंचायत की जरूरत की योजनाएँ प्राथमिकता में नीचे है अथवा छूट गई हैं। जैसे- आहर और पईन की उड़ाही की जरूरत है उसका नाम छूटा हुआ है। गाँव का जो पोखर है, उसमें गर्मी में भी पानी नही सूखता था। अब कई वर्षो से सूख जाता है। गाँव में मवेशी तक को पानी पीने की दिक्कत हो जाती है।
मदन जी की बातों से मैं सहमत हूँ। क्या ग्राम सभा सहमत है?
हाँ
पंचायत सचिव जी संबंधित योजना को प्राथमिकता के क्रम में उपर रखें। आहर-पईन तथा पोखर की उड़ाही का काम मनरेगा की सूची में डालें। मनरेगा के अन्तर्गत जल संरक्षण तथा जल संचय की योजनाओं को प्राथमिकता देनी है।
जी मुखिया जी।

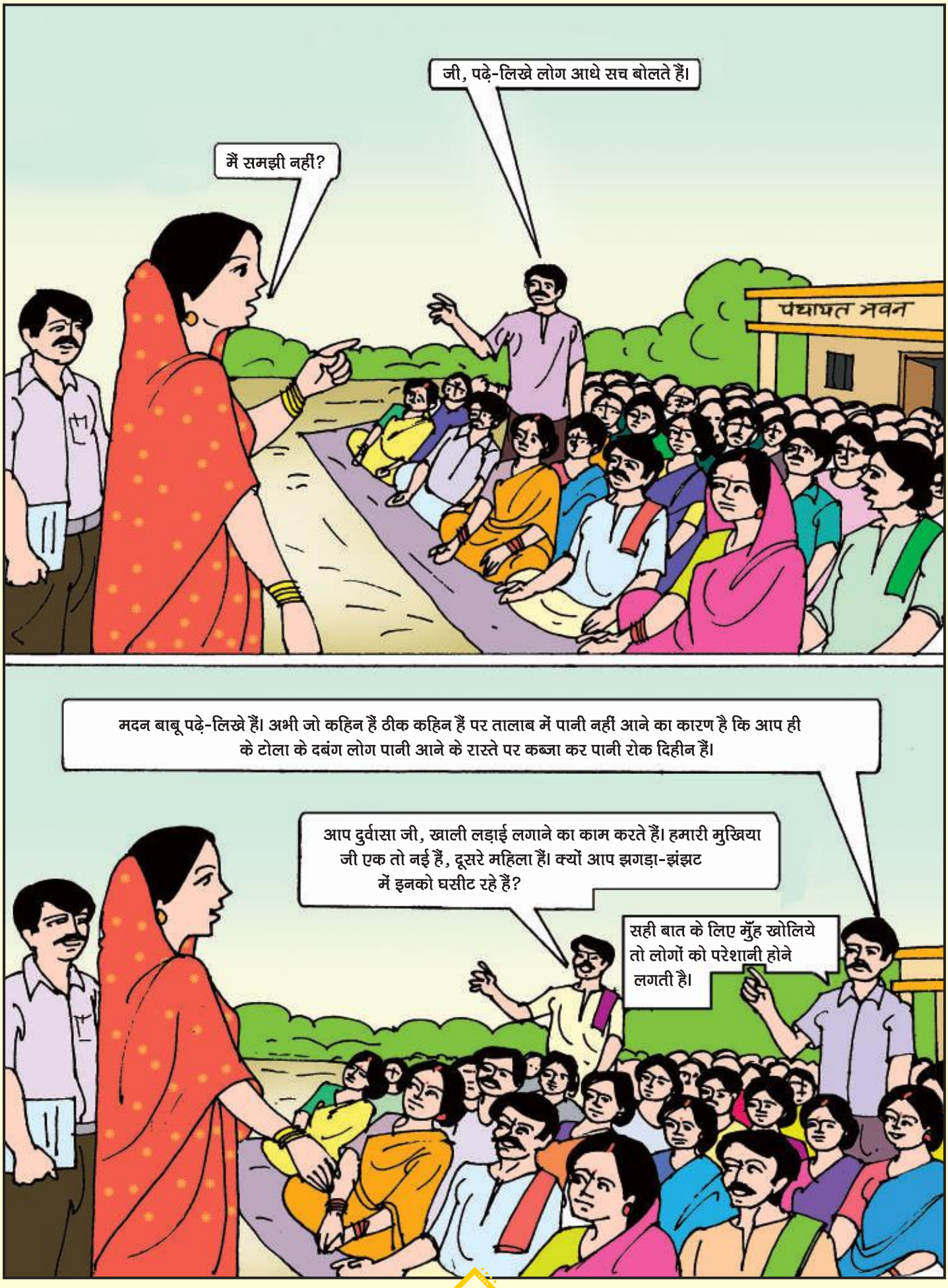
जी, पढ़े-लिखे लोग आधे सच बोलते हैं।
मैं समझी नहीं?
पंचायत भवन
मदन बाबू पढ़े-लिखे हैं। अभी जो कहिन हैं ठीक कहिन हैं पर तालाब में पानी नहीं आने का कारण है कि आप ही के टोला के दबंग लोग पानी आने के रास्ते पर कब्जा कर पानी रोक दिहीन हैं।
आप दुर्वासा जी, खाली लड़ाई लगाने का काम करते हैं। हमारी मुखिया जी एक तो नई हैं, दूसरे महिला हैं। क्यों आप झगड़ा-झंझट में इनको घसीट रहे हैं?
सही बात के लिए मुँह खोलिये तो लोगों को परेशानी होने लगती है।

देखिये मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं महिला हूँ, अबला नहीं और मुझे महिला होने का गर्व है। दूसरी बात यह है कि मुखिया होने के नाते कर्त्तव्य पथ पर मेरा कोई नातेदार नहीं है। यदि कोई अतिक्रमण है तो नियमानुसार कारवाई की जायेगी। आज हमलोगों ने सभी एजेंडा पर विचार विमर्श कर लिया। मैं आप सब को ग्राम सभा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि जन सहयोग से ली जाने वाली योजनाओं में आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आज की सभा की समाप्ति के लिए मैं आप सबों से अनुमति चाहती हूँ।

पंचायत भवन

सभी लोग घर की ओर जाते हैं।

पंचायत भवन

''हर घर नल का जल''
''घर में शौचालय निर्माण, घर का सम्मान''

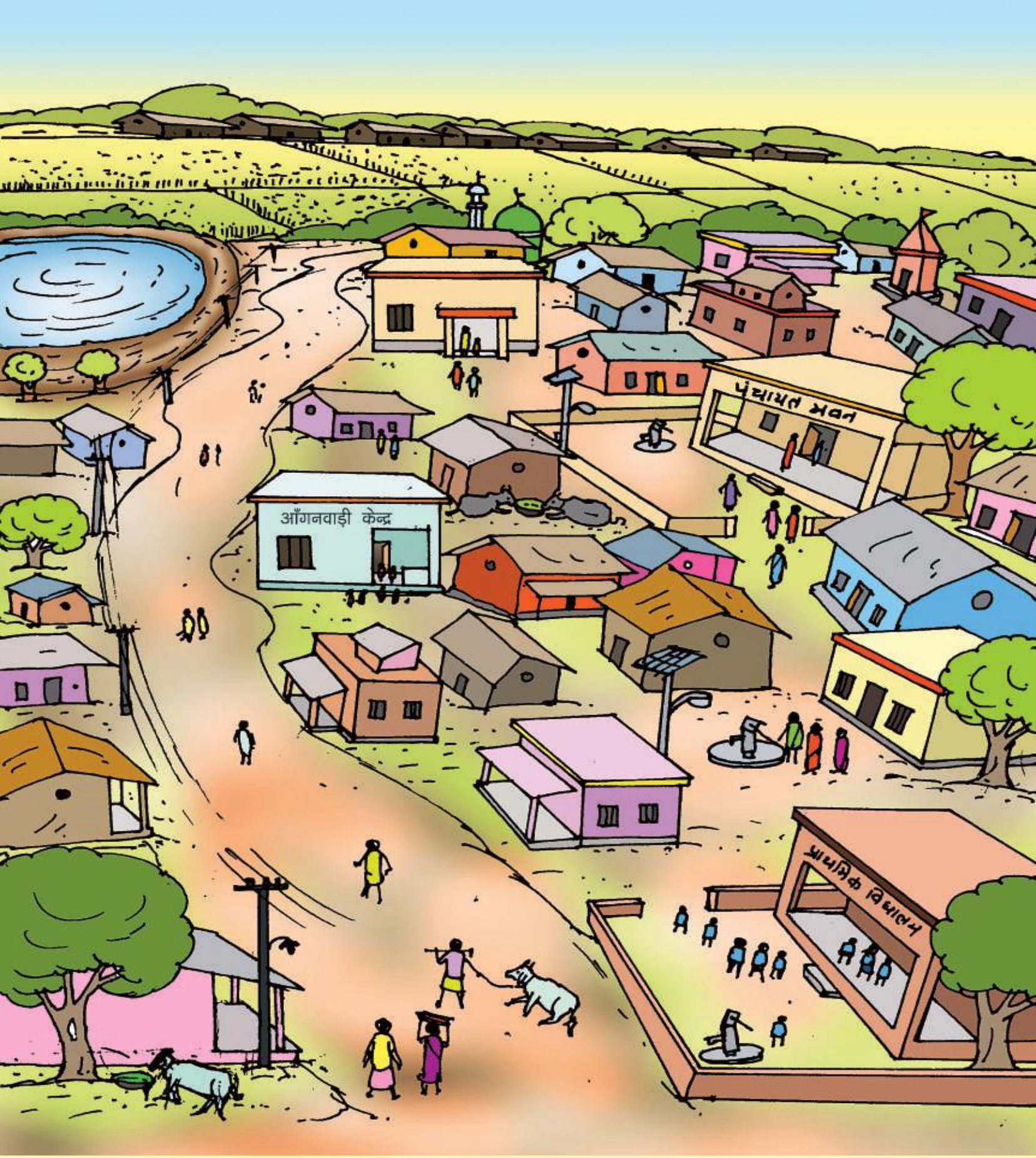

DMI
सुविधा सुविनियोगात् सुविकासः

विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआई)
उद्योग भवन (द्वितीय तल), पूर्वी गाँधी मैदान
पटना 800 004, बिहार, भारत
फोन : 91 612 267 5180, 5283
www.dmi.ac.in

पंचायती राज विभाग
बिहार सरकार